तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
7/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार अनुपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना ने रिपोर्ट में अंकित किया कि मौके ग्राम गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर $\frac{515}{101}$ रकबा 0.08 हे० किस्म गैर मुमकिन रास्ता-3 सहरवालदा के राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड नक्शा डिजिटल शीट में खसरा नम्बर $\frac{515}{101}$ सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज रेकार्ड है जो रास्ता ग्राम गाडली की सीमा से शुरू होकर ग्राम गोपालपुरा होते हुए ग्राम नरांत तक जाता है। जिसकी अनुमानित लम्बाई 3-4 Km तक है। उक्त रास्ता सम्पूर्ण खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त रास्ता काफी पुराना है और चालू है। केवल खसरा नं. 150 व 214 की सीमा बनाता हुआ रास्ता खसरा नं. $\frac{515}{101}$ रकबा 0.08 है	

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
मौके पर बन्द है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस रही है कि- नक्शे में खसरा नम्बर $\frac{515}{101}$, $\frac{517}{101}$ में रास्ता दर्शाया रखा है जबकि वह खातेदारी भूमि का हिस्सा है। प्रचलित रास्ता खसरा नं. 214, 150 की मेड पर है। जबकि खसरा 215 की उत्तरी सीमा से गुजरते हुए पूर्व से पश्चिम को जाता है। मौके पर दर्ज है। खसरा नं. 215 की उत्तरी मेड पर से पूर्व से पश्चिम रास्ता कायम है जहां से नक्शा में दर्ज है, वहा पर मौके पर रास्ता नही है और ना ही कभी रहा है। जिसको दुरुस्त किया जाकर खसरा नम्बर 215 की उत्तरी सीमा से रास्ता सटता हुआ वह पूर्व से पश्चिम में तरमीम किया जावे। तथा जिसके जगह खसरा नं. 214 व 150 रास्ता दर्शाया रखा है उनको नक्शे से हटाया जाकर खसरा नं. 215 की उत्तरी सीमा में दर्शाया ... खसरा नं. 215 की पश्चिमी ... ... रास्ता बन्द कर ... दर्ज ...	

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मे जा
	उपयोग वर्षों से करते आ रहे है। जो दुलते गांव को जाता है। अतः अप्रार्थीगण को मय्येजे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ख0नं. 215 के उत्तरी मेड के सहारे–सहारे मौके पर स्थित रास्ते को अवरूद्ध ना करे तथा ख0नं. 515/101 व ख0नं. 517/101 जहां रास्ता स्थापित किया गया रखा है उसको अवरूद्ध नही खोले तथा प्रार्थीगण की फसल नष्ट नही करे। अप्रार्थीगण की बहस की है कि – अप्रार्थीगण ख0नं. 214, 215 में मकान बनाकर आबाद है। ख0नं. 214, 215 के उत्तर में खाली जगह उसके पश्चात कच्ची रास्ता (ख0नं. 515/101, 517/101) स्थित है। करीब एक माह पूर्व उस रास्ते को प्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया। ख0नं. 515/101, 516/101, 517/101 कच्ची रास्ता है जिस पर प्रार्थीगण ने अवरोध कर रखा है। प्रार्थीगण अपने उक्त कथन	

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी गुढ़ागौड़जी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

GCMS नम्बर .... उनवान .... बनाम ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अनुसार अपनी सुविधा से रास्ता प्रयोग करना चाहते है। प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति नही हो रही है बल्कि उनकी आम रास्ते पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण ने आमजन को भारी परेशानी पैदा कर दी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीनों आवश्यक विचारणीय बिन्दु पर गौर किया गया। तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रमाण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है। इसलिए प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है। मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण साक्ष्य [illegible] लिया जाने के पश्चात ही किया जाना [illegible] उचित पाया जाता है। [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः न्यायालय	

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी गुढ़ागौड़जी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:05 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर.............................. GCMS नम्बर .... उनवान..............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	डुमे आदेश दिनांक 7/9/22 को खारीज किया जाता है तथा 4 व्यक्तिगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मशमूल से क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 7/12/22 को सुनाया गया।
	Signature Not Verified Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan Date: 2023.06.23 12:48:05 IST Reason: SelfAttested
	(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)